न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :— 25/2017

(आरसीएमएस नम्बर :— 2017/00140)

उनवान प्रकरण

1—जगदीश उम्र करीव 56 वर्ष पुत्र तेजसिंह । जातिगण त्यागी
2—महादेवी उम्र करीव 75 वर्ष पत्नी तेजसिंह ।
3—मुन्नी उम्र करीव 52 वर्ष पुत्री तेजसिंह । निवासीगण ग्राम पहाडी
4—गुडडी उम्र करीव 50 वर्ष पुत्री तेजसिंह । तहसील राजाखेडा
5—रामबती उम्र करीव 46 वर्ष पुत्री तेजसिंह । जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व कालम संख्या—7 जॉच रिकार्ड दिनांक 13.6.1990 जमाबन्दी ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा आर/ओ तहसीलदार तहसील राजाखेडा

उपस्थिति अभिभाषक :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेन्टस की ओर से :— श्री गोपालनारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 24.08.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 686 रकवा 7 बीधा 8 विस्वा बांके गाम पहाडी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार तेजसिंह व निहालसिंह पुत्रगण गोकुला जाति गोलापूरव निवासी पहाडी तहसील राजाखेडा थे और इसी हैसियत से काबिज काश्त थे। खातेदार पीतम पुत्र गोकुलसिंह ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 दिनांक 27.2.1986 को जरिये पंजीकृत बिक्रय बिलेख प्रार्थीगण के पिता तेजसिंह एवं मंगलसिंह पुत्रगण बीरपाल जाति त्यागी को बिक्रय कर दिया तभी से तेजसिंह व मंगलसिंह उपरोक्त आराजी पर अपने

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

जीबन काल तक काबिज काश्त रहे। तेजसिंह का देहान्त दिनांक 20.1.2016 को हो गया उनकी मृत्यु के बाद उनके 1/4 भाग पर प्रार्थीगण काबिज है। बिक्रय पत्र के आधार पर बिवादग्रस्त आराजी का तेजसिंह एवं मंगलसिंह के नाम नामान्तकरण संख्या 527 खोला गया एवं उसका अमल भी जमाबन्दी सम्बत 2042 से 2045 में खोला गया उसके बाद मंगलसिंह ने अपना हिस्सा 1/4 जरिये पंजीकृत बिक्रयपत्र पीतमसिंह पुत्र गोकुलसिंह त्यागी व श्यामगिरी पुत्र राजगिरी गुसाई निवासी पहाडी को बिक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या 612 दिनांक 24.5.1988 को खोला गया उसका भी अमल जमाबन्दी सम्बत 2042 से 2045 में खोला गया। जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 की जॉच करते समय आई एल आर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 527 व 612 के अमल को सही मानकर दिनांक 14.2.1990 में स्वीकार किया गया। दिनांक 13.6.1990 को आर.ओ. तहसीलदार राजाखेडा द्वारा जमाबन्दी की जॉच की गई उनके द्वारा जॉच कालम संख्या–7 में यह लिखा कि नामान्तकरण संख्या 527 से खसरा नम्बर 686 रकवा 1 वीधा 8 विस्वा का बेचान कर दिया गया है बिक्रेता के स्थान पर पीतमसिंह व निहालसिंह पुत्रगण गोकुला का नाम तथा क्रेता के स्थान तेजसिंह पुत्र पीतमसिंह, मंगलसिंह पुत्र बीरपाल हिस्सा 1/2 व शेष हिस्सा 1/2 बदस्तूर लिखा है। इस नामान्तकरण में बिक्रेता कौन है पता नहीं चलता है यदि दोनो विक्रेता है तो यह नामान्तकरण फ्रेगमेन्ट का होता है। आइ एल आर ने भी इसकी फौरी तौर पर जॉच की है तथा अपने कर्तब्यों में बिफल रहा है। पटवारी एवं आई एल आर के खिलाफ कार्यवाही होना सुनिश्चित हो अमल आगे की जमाबन्दी में रोक दिया जो गलत है काबिल निरस्ती है इसके विरूद्व यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है कि आर.ओ. तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत के अधिकार नामान्तकरण के मामले में समान है उन्हें ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामान्तकरण के अमल को बिना किसी बिधिक प्रकिया के रोकने का कोई अधिकार नहीं है। नामान्तकरण में वर्णित आराजी का बिक्रयपत्र स्पेसीफिक पोर्सन का नहीं किया गया है बल्कि सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का बिक्रयपत्र हुआ है। इस प्रकार बिक्रयपत्र फ्रेगमेन्ट की तारीफ में नही आता है। सन 1990 में फ्रेगमेन्ट के कानून को समाप्त कर दिया गया बर्तमान में फ्रेगमेन्ट कानून नहीं है। अमल रोकने से पहने अपीलान्टस के पिता तेजसिंह को सुनना चाहिऐ था लेकिन तहसीलदार ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार उन्होने प्राकितिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना की है यह निर्णय शुरू से ही शून्य निर्णय है जिसके बिरूद्व कभी भी अपील की जा सकती है। अपीलान्टस को व उनके पिता को इस बात की जानकारी नहीं थीकि उनका अमल रोक दिया गया है। अब अपीलान्टस को तेजसिंह के निधन के बाद उनकी बिरासत का दाखिला खारिज कराना चाहा तब दिनांक 6.7.2017 को पता लगा उसके बाद अपीलान्टस ने पटवारी हल्का से सर्म्पक किया लेकिन पटवारी हल्का ने कोई जबाव काफी समय तक नहीं दिया तो दिनांक 3.10.2017 को अपीलान्टस तहसीलदार राजाखेडा के कार्यालय में गये वहॉ उन्होने कहा कि यहॉ कुछ नहीं हो सकता है आप इसकी अपील करो तब यह अपील बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जॉच रिपोर्ट आदेश कॉलम संख्या–7 दिनांक 13.6.1990 निरस्त किया जाने एवं नामान्तकरण संख्या 527 का अमल जमाबन्दी में किये जाने की प्रार्थना की है।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

अपीलान्टस ने अपनी अपील के सर्मथन में असल मृत्यु प्रमाण पत्र तेजसिंह, फोटोप्रति वयनामा वहक तेजसिंह पुत्र पीतम एवं मंगलसिंह पुत्र वीरपाल, नकल जॉच रिपोर्ट कॉलम संख्या 7 नकल जमाबन्दी सम्बत 2046 से 2049 ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा पेश किये है।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण रिकार्ड 527 ग्राम पहाडी तलव किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते वहस नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार राजाखेडा के आदेश दिनांक 13.6.1990 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 527 का अमल रोक कर कानूनी भूल की है। दाखिला रोकने से पूर्व केतागण को सुना जाना आवश्यक था अगर नामान्तकरण गलत खोल दिया गया तो उसे संशोधन कराना चाहिऐ था केतागण को बुलाकर बिक्रयपत्र का अवलोकन कराना चाहिऐ था ऐसा नहीं करके तहसीलदार राजखेडा ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना की है। तहसीलदार का यह आदेश बिधि बिरूद्व एवं नल एण्ड बोईड है। शून्य आदेश होने के कारण इसके बिरूद्व कभी भी अपील की जा सकती है। तहसीलदार राजाखेडा ने अमल यह लिखते हुये रोका है कि मामला फ्रेगमेन्ट का बनता है जबकि पीतम पुत्र गोकुल का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 बिक्रय किया गया है उसके टुकडे नहीं किये गये है ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजाखेडा का आदेश तारीखी 13.6.1990 काबिल खारिजी है।

रेस्पोडेन्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में कथन किया कि दिनांक 13.6.1990 को आर.ओ. तहसीलदार राजाखेडा द्वारा जमाबन्दी की जॉच की गई उनके द्वारा जॉच कालम संख्या–7 में यह लिखा कि नामान्तकरण संख्या 527 से खसरा नम्बर 686 रकवा 1 वीधा 8 विस्वा का बेचान कर दिया गया है बिक्रेता के स्थान पर पीतमसिंह व निहालसिंह पुत्रगण गोकुला का नाम तथा केता के स्थान तेजसिंह पुत्र पीतमसिंह, मंगलसिंह पुत्र बीरपाल हिस्सा 1/2 व शेष हिस्सा 1/2 बदस्तूर लिखा है। इस नामान्तकरण में बिक्रेता कौन है पता नहीं चलता है यदि दोनो विक्रेता है तो यह नामान्तकरण फ्रेगमेन्ट का होता है। आइ एल आर ने भी इसकी फौरी तौर पर जॉच की है तथा अपने कर्तव्यों में बिफल रहा है। पटवारी एवं आई एल आर के खिलाफ कार्यवाही होना सुनिश्चित हो अमल आगे की जमाबन्दी में रोक दिया उक्त आदेश सही पारित किया है। तहसीलदार राजाखेडा के उक्त आदेश दिनांक 13.6.1990 की अपील 8.11.17 को पेश की गई है। अपील अपीलान्ट म्याद के बाहर पेश की गई है तथा देरी का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है और ना ही धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। नामान्तकरण संख्या 527 में विक्रेता कौन है, शेष हिस्सा बदस्तूर किसका कितना है, बावत कोई उल्लेख

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

नहीं है। यद्वपि प्रार्थी पीतमसिंह ने अपना 1/2 हिस्सा ही तेजसिंह व मंगलसिंह को बेचान करने के सवूत में बिक्रय विलेख दिनांक 27.2.1986 जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 527 दर्ज हुआ है, पेश हुआ है। अतः आवश्यक है कि नामान्तकरण में सही प्रविष्टियां अंकित होकर ही राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां हो। अतः अपीलान्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार राजाखेडा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 527 ग्राम पहाडी तहसील राजाखेडा को तहसीलदार राजाखेडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बधित पक्षों की सुनवाई कर पुनः उचित निर्णय पारित कर राजस्व अभिलेख में शुद्व प्रविष्टियां की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजाखेडा को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner